मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त,2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2003 (श्रावण 8, 1925)

समय 10.30 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन :-

(क) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा-43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 31-1-99-म-इकतीस-384, दिनांक 10 जून, 2003, तथा

(ख) मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 की धारा 37 की उपधारा (2) सहपठित मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 के नियम 36 के परन्तुक की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्र.सी.आर.-9-92-म-इकतीस-814, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री :-

(क) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पलारी, जिला सिवनी गोली चालन जांच आयोग का प्रतिवेदन 7 जुलाई, 2003 द्वारा श्री डी.एन. जोशी, एकल सदस्य सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तथा

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (1-4-2001 से 31-3-2002) का पैंतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, पी.सी. शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल स्थित राजधानी परियोजना द्वारा संचालित प्रकाश तरण पुष्कर में एक युवक की डूबने से मौत होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी को समाप्त किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री ग्यारसीलाल रावत, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री प्रभुदयाल गेहलोत, सभापति, याचिका समिति का सैंतीसवां, अड़तीसवां एवं उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह, ऊर्जा मंत्री, वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अब तक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर वक्तव्य देंगे.

(2) श्री अजय सिंह, संस्कृति मंत्री -

(क) संस्कृति विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं उपलब्धियों के संबंध में वक्तव्य देंगे,

(ख) पर्यटन विभाग की उपलब्धियों के संबंध में वक्तव्य देंगे, तथा

(ग) ग्रामीण विकास विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर वक्तव्य देंगे.

(3) चौधरी राकेश सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग की गतिविधियों, उपलब्धियों एवं विभाग में लिये गये नीति विषयक निर्णयों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(4) श्री बाला बच्चन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विगत चार माहों में हुई विशेष उपलब्धियों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(5) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, विधान सभा बजट सत्र, 2003 उपरांत विभागीय उपलब्धियों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण) विधेयक, 2003 (क्रमांक 23 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. — प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैल रहे संक्रामक रोग एवं उनसे हो रही मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह तथा श्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 29 जुलाई, 2003